संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक:- 20/9 /2022

क्रमांक 3804/टीसी/127/उपां/डबरा/नग्रानि/2022 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट डबरा विकास योजना, 2031 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम	सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	डबरा तहसील डबरा जिला ग्वालियर	999	1.4000 में से 0.0662	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा मार्ग	मिश्रित तथा मार्ग

नोट:-

1. **प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख स्थित वर्तमान डबरा भिरतरवार मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 45.00 मीटर है। अत: मार्ग मध्य से 22.50-22.50 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य होगा।**
2. **रेल्वे सीमा से न्यूनतम 30.00 मीटर दूरी तक विकास/ निर्माण के पूर्व रेल्वे से एन.ओ.सी. लेना अनिवार्य होगा।**
3. **स्थल पर स्थित विद्‌युत लाईन से म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 तथा उर्जा विभाग द्‌वारा निर्धारित सीमा तक क्षेत्र खुला रखना आवश्यक होगा।**
4. **स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।**

शर्त :-

1 **उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियॉ मान्य होगी।**

2 **उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानुसार लागू होंगें।**

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियॉ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल